

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 179

Dated: 19.06.2024

सेवा में,
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 नरेंद्रनगर वन प्रभाग,
 मुनिकीरेती, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद - टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश -कर्णप्रयाग नई बी० जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु 1.1206 हे० वन भूमि का रेल विकास निगम लि० (भारतीय रेल की ओर से) को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/151179/2022)

सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक -8बी० /यू० सी० पी० /07/42 /2022/एफ० सी० /346 दिनांक 14.06.2023 के क्रम में।
 2. आपका पत्रांक - 146 /12 -1 मुनिकीरेती (ऋषिकेश), दिनांक 03.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक/सैधांतिक स्वीकृति शर्तों के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तों को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। संदर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तों की आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है:

क्र० सं०	निर्धारित शर्तें/आपत्तियां	अनुपालन/शर्तों का निराकरण
संदर्भित पत्र क्रमांक 2 पर अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या		
1	यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत मुनिकी रेती कम्पार्टमेन्ट न० 3 शिवपुरी रेन्ज में दिया गया है। जिसकी पत्रावली प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर के कार्यालय में उपलब्ध है।
2	इसके अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृत समरेखण में ही बाधक वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न
3	यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को working permission दे दी गई है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध कराये।	इस स्तर से कार्य प्रारम्भ करने हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है।
सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या।		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.241 हे० अवनत वन भूमि मुनि की रेती क० सं० 3, शिवपुरी रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	(क) आपके पत्रांक - 146 /12 -1 मुनिकीरेती (ऋषिकेश), दिनांक 15.07.2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में रु० 10,05,741.00 (दस लाख पांच हजार सात सौ इकतालीस) की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय राशि दिनांक 28.08.2023 को जमा करा दी गई है (प्रमाण पत्र संलग्न) (ग) नरेंद्रनगर वन प्रभाग से सम्बंधित हैं।

	<p>(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण - पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0 ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p> <p>(घ) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम0 एल0 फाइल , क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।</p>	<p>(घ) नरेंद्रनगर वन प्रभाग से सम्बंधित हैं।</p>
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।</p>	<p>आपके पत्रांक - 146 /12 -1 मुनिकीरेती (ऋषिकेश), दिनांक 03. 04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में रु0 10,05,741.00 (दस लाख पांच हजार सात सौ इकतालीस) की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय राशि दिनांक 28. 08. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रमाण पत्र संलग्न)</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.1206 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>आपके पत्रांक - 146 /12 -1 मुनिकीरेती (ऋषिकेश), दिनांक 03. 04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में रु0 14,48,768.00 (चौदह लाख अड़तालीस हजार सात सौ अड़सठ) की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय राशि दिनांक 28. 08. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रमाण पत्र संलग्न)</p> <p>शपथ-पत्र संलग्न।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों एवं 20 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)</p>
7	<p>गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)</p>

	पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 28.08. 2023 को जमा करवा दी गयी है (प्रमाण पत्र संलग्न) ।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	नरेंद्रनगर वन प्रभाग से सम्बंधित हैं।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	नरेंद्रनगर वन प्रभाग से सम्बंधित हैं।
12	नोडल अधिकारी, State Campa यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	नरेंद्रनगर वन प्रभाग से सम्बंधित हैं।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
17	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित हो।	अनुपालन किया जाएगा। नरेंद्रनगर वन प्रभाग द्वारा इस दिशा में अगर कोई निर्देश प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होने पर, अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
20	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

	हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तों का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्तें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि में नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
24	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों के सम्बन्ध में वांछित आख्या (01 मूल +04 प्रतिलिपि) आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय




अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर द्वारा अधिरोपित शर्त सं० 02 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि स्वीकृत संमरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत संमरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।



रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत सिंग यदाव / A. JIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।


(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश


अजीत मुखिया प्रियोजना प्रबन्धक
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) / A GOVT. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश
General Manager
RVNL, Rishikesh


अजीत सिंह यादव/AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—3(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, आपके पत्रांक – 146/12-1 मुनिकीरेती (ऋषिकेश), दिनांक 03. 04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) के अनुपालन में रु० 10,05,741.00 (दस लाख पांच हजार सात सौ इकतालीस) की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय राशि दिनांक 28. 08. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)




अजीत सिंह यादव / AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Development Corporation Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—4 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत रू 10,05,741 /—को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा फंड में चालान द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जमा कर दी गई है।




अजीत मुख्यालय ANIL SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh
(भारत सरकार का उपक्रम) India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-5 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि एन० पी० वी० के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.1206 हे० हेतु रू 12,92,850/- प्रति हे० की दर से रू० 14,48,768/- की धनराशि को चालान द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा फंड में चालान द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जमा कर दी गई है। (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन० पी० वी० की धनराशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।)




अजीत सिंह यादव/AJIIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Joint Venture of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)


शर्त सं०-5 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि यदी एन० पी० वी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत सिंह यादव/ASJ
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201




परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्ष एवं 20 सैपलिंग से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास वृक्षों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश
General Manager
RVNL, Rishikesh


अजीत सिंह यादव / AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh
(भारत सरकार का उपकरण / India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)



शर्त सं०—7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा—11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत मुखिया
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201



परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)


शर्त सं०-8 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन० पी० वी० एवं क्षतिपूरक वनीकरण की राशि वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा की जाने वाले राशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत मुख्यालय परियोजना प्रबन्धक
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201



परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)


शर्त सं०-9 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ० आर० ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत सिंह प्रधान
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201




परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के, स्वैच्छा अनुसार नहीं बदलेंगे।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत मुखर्जी प्रबन्धक
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)


शर्त सं०—13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार इस परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जानी है।

रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत सिंघाणिया AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201




परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत मुख्या परियोजना प्रबन्धक
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश



अजीत सिंह यादव AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh India Enterprises
(भारत सरकार का उपक्रम) / (Government of India Enterprise)
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेग, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।




अजीत सिंह यादव (AJIT SINGH YADAV)
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपनिवेश) of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201, Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का परियोजना की लागत पर आर० सी० सी० पिल्लरों द्वारा सीमांकन वनविभाग की देख रेख में किया जायेगा अथवा राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राकलनानुसार धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।




अजीत सिंह यादव/AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201, Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।




अजीत सिंह यादव ANANT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० Rishikesh
(भारत सरकार का उपक्रम) Special Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



अजीत सिंह चौधरी
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201; Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश


अजीत सिंह यादव / A. JIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक / Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh RAIL Development Corporation Ltd.
(भारत सरकार का उपनिवेश / India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) / Rishikesh (UK) 249201


परियोजना का नाम-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०७/४२/२०२२/एफ.सी./३४६ दिनांक १४/०६/२०२३ द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।




अजीत सिंह यादव / AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Enterprise)
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201 / Rishikesh (UK) 249201

परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)


शर्त सं०—22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश
RVNL, Rishikesh



अजीत सिंह यादव/AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम)
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201



मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश




परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलबे को सथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलबा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।


रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश


अजीत सिंह यादव/AJIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि०
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०-24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।




अजीत मुख्यालय ANANT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० Ltd.
(भारत सरकार का उपकरण) ऋषिकेश Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) (UK) 249201


परियोजना का नाम—126 कि० मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं० FP/UK/RAIL/151179/2022)

शर्त सं०—25 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०७/४२/२०२२/एफ.सी./३४६ दिनांक १४/०६/२०२३ द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।




अजीत सिंह यादव / ANKIT SINGH YADAV
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rishikesh
(भारत सरकार का उपक्रम) / India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201, Rishikesh (UK) 249201

AGENCY COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 06-08-2023	
Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59151179482
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/42/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, RishikeshDehradun
Amount(in Rs)	2454509/-
Amount in Words :Twenty-Four Lakh Fifty-Four Thousand Five Hundred and Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959151179482 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 06-08-2023	
Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59151179482
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/42/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh Dehradun
Amount(in Rs)	2454509/-
Amount in Words :Twenty-Four Lakh Fifty-Four Thousand Five Hundred and Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959151179482 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/RAIL/151179/2022 Development of 126 Km Long New BG Rail Link Between Rishikesh to Kamprayag - Additional Forest Land Requirement for Providing connectivity to Portal P1 of Tunnel (T2) to Main Highway NH-56 at Shivpur	RAIL1511792022482	59151179482	14 Jun 2023	CA: 1005741/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other Charges: 0/- NPV: 1448768/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total: 2454509/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 05 Aug 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 06 Aug 2023 Transaction Date: 28 Aug 2023	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/RAIL/148843/2021 Development of 126 Km Long Rishikesh- Kamprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Nagrasu	RAIL1488432021347	59148843347	16 Mar 2023	CA: 529573/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other Charges: 0/- NPV: 616560/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total: 1146133/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 11 May 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 02 Jun 2023 Transaction Date: 19 May 2023	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/RAIL/148884/2021 Development of 126 Km Long Rishikesh- Kamprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Civil Soyam Land at Sirobgarh Village	RAIL1488842021375	59148884375	31 Aug 2022	CA: 1370853/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other Charges: 0/- NPV: 2171988/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total: 3542841/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 16 Nov 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 16 Nov 2022 Transaction Date: 19 May 2023	Demand Letter Generated Challan
4	FP/UK/RAIL/148846/2021 Development of 126 Km Long Rishikesh- Kamprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Ratura	RAIL1488462021995	59148846995	30 Aug 2022	CA: 1187257/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other Charges: 0/- NPV: 1881097/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total: 3068354/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 09 Nov 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Nov 2022 Transaction Date: 22 Nov 2022	Demand Letter Generated Challan



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Integrated Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-
248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-
moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/07/42/2022/एफ.सी. 346

दिनांक: 14/06/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु 1.1206 हे० वन भूमि का रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no. FP/UK/Rail/151179/2022) minutes

सन्दर्भ:- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, की पत्र संख्या 551/X-3-22/1(28)/2022 दिनांक 27.05.2022 महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।


प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24.02.2023 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद- टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु 1.1206 हे० वन भूमि का रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.241 हे० अवनत वन भूमि मुनि की रेती क०सं० 3, शिवपुरी रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।
(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
(घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
 - (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में LA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.12.06 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
 - (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों एवं 20 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।
11. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
12. नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


(मजेंद्र प्रकाश नरवणे) 8/2-1
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)



पत्रांक संख्या- 146 / 12-1

दिनांक 15/07/2023

सेवा में,

✓ मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि०,
निकट-गढवाल मण्डल विकास निगम,
श्यामपुर बाईपास रोड, ऋषिकेश।

Sanjay
Forest

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु 1.1206 हे० वन भूमि का रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal no.- FP/UK/Rail/151179/2022)
सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी०/यू०सी०पी०/07/42/2022/एफ०सी०/345 दिनांक-14.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रशंगत प्रकरण की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, द्वारा उनके पत्रांक-3031/FP/UK/RAIL/151179/2022 दिनांक-27.06.2023 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

शर्त संख्या-01 यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।

शर्त संख्या-02 उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

शर्त संख्या-03 यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध कराये।

शर्त संख्या-04 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं०-01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रशंगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रशंगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों की डिमांड अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1- **शर्त संख्या-01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2- **शर्त संख्या-02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3- **शर्त संख्या-3.क** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.241 हे० अवनत वन भूमि मुनिकीरेती क०स०-03, शिवपुरी राजि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु०-10,05,741.00 घनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें, तथा प्रतिपूरक वनीकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

वसूली वर्ष 2023-24 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु घनराशि का विवरण :-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि -	2.241 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-	4,48,791.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु घनराशि-	2.241 X 4,48,791.00 =10,05,741.00

4- **शर्त संख्या-3.ख** के अनुपालन में वन क्षेत्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5- शर्त संख्या-3.(ग) के अनुपालन में प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0फाईल . क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0कार्य, प्रस्तावित कैवमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्यानुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- शर्त संख्या-05 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.1206 हे0 हेतु @ 12,92,850.00 प्रति हे0 की दर से मु0 14,48,768.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 5-3/2011-एफ0सी0 Vol-I(i) दिनांक 06-01-2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 12,92,850.00 (बारह लाख बयानबे हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.1206 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	1.1206 हे0 X 12,92,850.00 = 14,48,768.00

8- शर्त संख्या- 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

9- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों एवं 20 SAPLINGS से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

10- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में गार्डर्ड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही इसकी कड़ाई से निगरानी की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

11- शर्त संख्या-08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।

12- शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनरपति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

14- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वैच्छा अनुसार नहीं बदलेंगे, तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

15- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में नोडल अधिकारी, स्टेट कैम्पा के द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

16 शर्त संख्या-13 इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

17- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

20- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22- बिन्दु संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

23- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

24- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश फाईल सं0-11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

25- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

26- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।


27- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।

संख्या:- 146 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, शिवपुरी राजि को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभाग स्तर से सम्बन्धित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या, समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्राक्कलन/शपथ पत्रों सहित प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।